(4)

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र. क्र. I/निगरानी/विदिशा/भू0राजस्व/2017/4774

दिनांक 30-11-17 को श्री जगदीश श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत

30-11-17

पं०दि० - 5-12-17

Held 5/12/17

(1) फूलसिंह आत्मज स्व0श्री मूलचंद दांगी
(2) सुरेशसिंह आत्मत श्री फूलसिंह
(3) धर्मेन्द्र पुत्र श्री सुरेशसिंह दांगी
(4) हरि सिंह उर्फ देवेन्द्र सिंह दांगी समस्त निवासीगण ग्राम मिरगावली, तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा म0प्र0 ...प्रार्थीगण

बनाम

(1) विजयसिंह आत्मज स्व0श्री मूलचंद दांगी
(2) वीरसिंह पुत्र श्री विजयसिंह दांगी
(3) कैलाशसिंह आत्मज श्री विजयसिंह दांगी समस्त निवासीगण ग्राम मिरगावली, तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा म.प्र....प्रतिप्रार्थीगण

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अपर आयुक्त संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 492/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांकी 25.11.2017 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थीगणों की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

यह कि, प्रतिप्रार्थीगणों ने ग्राम मिरगावली तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा मे स्थित सर्वे कमांक 105 रकवा 0.574हे0, एवं भूमि सर्वे कमांक 101 /279 रकवा 0.094हे0के बटवारा मे पारित आदेश वर्ष 1996 में हुई त्रुटि को दुरूस्त कराए जाने के लिये म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 115 एवं 116 के अंतर्गत दुरूस्ती कराए जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसका प्रकरण कमांक 1/2015-16 अ-6 अ है प्रस्तुत किया तहसील न्यायालय में प्रतिप्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को दिनांक 16.11.2015 को निरस्त कर दिया, उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिप्रार्थीगणों ने माननीय अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर जिला विदिशा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसका प्रकरण कमांक 09/2015-16 अपील है उक्त अपील में माननीय अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर द्वारा अपने आदेश दिनांकी 31.05.2016 के द्वारा प्रतिप्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुये प्रकरण में सर्वे कमांक 105/1 रकवा 0.574 सर्वे कमांक 101/279 रकवा 0.094 हे0 भूमि पर प्रतिप्रार्थी विजयसिंह पुत्र श्री मूलचन्द्र का नाम राजस्व अभिलेख में अमल करते हुये तहसीलदार ग्यारसपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकी 16.11.2015 को निरस्त करते हुये आदेश पारित किया उक्त आदेश के विरूद्ध

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4774 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश श्रीवास्तव उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता एवं स्थगन के बिंदु पर सुना गया । 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अपर आयुक्त ने अपने आलोच्य आदेश में यह स्पष्ट किया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने संहिता की धारा 178 में निहित प्रावधानों के तहत विधि अनुसार कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है उक्त कारण से उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखते हुए आवेदक की अपील को निरस्त किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है । इसके अतिरिक्त आवेदक के अनुसार सिविल न्यायालय में भी प्रकरण लंबित है इस कारण भी निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि व्यवहार न्यायालय का जो निर्णय होगा वह पक्षकारों पर बंधनकारी होगा । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (हस्ताक्षर) प्रशा0 सदस्य	